

पक्षकारान को सूचित कर... (1981)...
में दिनांक... 21/5/18.....को पेश हो।

21/5/18

आज यह पत्रावली राजावलोड अदालत के मध्य समय में प्रलवाड
के साथ पेश हुई। इस पत्रावली में लिखित प्रलवाड खारिज हो
चुका है। अब इस पत्रावली के अगले चलाने का कोई औचित्य
नहीं है। अतः पत्रावली 212 R.T. Act खारिज किया जाते हैं।
अतः कुशल सुभाषा होकर 12/5/18 की पाठा बादतक
दाखिल पत्र है।

ASD
ASD